



हीट वेव एक्शन प्लान जनपद— अलीगढ वर्ष 2025—26



कार्यालय जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण
कलेक्ट्रेट जनपद— अलीगढ, पिन कोड—202001 दूरभाष— 1077, 0571—2700128

मार्ग दर्शक:—

श्री संजीव रंजन (आई०ए०एस०)
जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, अलीगढ़।

पर्यवेक्षक:—

श्रीमती मीनू राणा (पी०सी०एस०)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) / मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, अलीगढ़।

शोध, संकलन एवं सर्वेक्षण:—

श्री सुधीर कुमार, प्रभारी अधिकारी(दैवीय आपदा)
श्री आदित्य गुलाटी, दैवीय आपदा सहायक
श्री दीपक मिश्रा, आपदा विशेषज्ञ

प्रस्तावना

जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप पूरे विश्व में गर्मी की तीव्रता बढ़ी है उ0प्र0 मौसम विज्ञान विभाग (आई०एम०डी०) के अनुसार भारत गर्मी के भीषण दौर से गुजर रहा है। पिछले 122 वर्षों की सबसे बड़ी गर्मी झेल रहे उ0प्र0 के कई जपवदों में हीटवेव (लू) का प्रकोपकारी है। बढ़ते तापमान और भीषणगर्मी के कारण गेहूँ की फसल पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है।

तापमान बढ़ने के कारण खाद्य सुरक्षा, पानी की कमी, जंगल की आग तथा बाढ़ जैसी समस्याओं के बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार उ0प्र0 में गर्मी और नमी की मात्रा बढ़ेगी जिससे कई क्षेत्रों में बाढ़, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि तथा हीट वेव जैसी जलवायु आपदाओं के जोखिम का सामना करना पड़ेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि तापमान में वृद्धि के साथ-साथ श्वसन, मधु मेह तथा अन्य संक्रामक रोगों के साथ-साथ शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होने की संभावना है। उपरोक्त परिस्थितियों में हीट वेव (लू) के दुष्प्रभावों से आमजन को बचाने के लिये आवश्यक कदम उठाया जाना अतिआवश्यक है। यह दायित्व सरकार के केवल एक विभाग अथवा एजेन्सी का नहीं होकर विभिन्न विभागों, प्राधिकरणों एवं समुदाय का है।

तापमान से संबंधित जानकारियों, हीटवेव का प्रभाव पूर्व चेतावनी, कलर सिग्नल सिस्टम, विभाग वार मानक परिचालन प्रक्रिया एवं क्या करें, क्या नहीं की जानकारी सभी नागरिकों होना अति आवश्यक है, जिससे जनहानि, पशुहानि, कृषि हानि को बचाया जा सकता है। हीटवेव से जुड़ी रोग दृष्टता और मृत्यु दर का प्रभाव आंकलन करें और उसके पैटर्न एवं उसके प्रवृत्तियों की जाँच करें जो गर्मी से सम्बन्धित मृत्यु दर और रोग का कारण बनती है। उपयुक्त मौसम की स्थिति का दोहन करने की तत्परता प्राकृतिक खतरों के लिए प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली है।

जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण, अलीगढ़ द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण लखनऊ द्वारा दिये गए निर्देशों तथा जनपद में पिछले अनुभवों के दृष्टिगत रखते हुए कतिपय बिन्दुओं को सम्मिलित कर जनपद अलीगढ़ की हीटवेव से बचाव व प्रबंधन हेतु कार्य-योजना तैयार करने का प्रयास किया गया है।

आशा है कि यह योजना हीटवेव (लू) से निपटने तथा उससे होने वाली क्षति को कम करने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पेज न0
1	पृष्ठभूमि एवं वस्तु स्थिति	1-4
	जिला संक्षिप्त परिचय	1
	हीट वेव घोषणा मानदंड	2
	विभिन्न क्षेत्रों पर हीट वेव का प्रभाव	3
	विगत 05 वर्षों में सर्वाधिक तापमान तथा हीटवेव (लू) दिवस की संख्या	4
	जनपद अलीगढ़ में हीट वेव की स्थिति तापमान के आधार पर	4
2	हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना की आवश्यकता	5-9
	हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना का उद्देश्य	5
	जनपद में लू के प्रति जोखिम का आंकलन (कमजोर वर्ग एवं क्षेत्र की पहचान करना)	5
	हीटवेव (लू) कार्ययोजना की प्रमुख रणनीतियाँ	5-7
	आइ0एम0डी0 द्वारा हिट-वेव / लू के लिए दी जाने वाली चेतावनी का प्रारूप	7-8
	हीटवेव पूर्व चेतावनी प्रसार तंत्र	8-9
3	विभिन्न विभागों/एजेन्सी के चरणवार उत्तरदायित्व	10-20
	प्री-हीट वेव (जनवरी से मार्च)	10-13
	हीट वेव के दौरान (मार्च से जून)	13-15
	पोस्ट-हीट वेव (जुलाई से दिसंबर)	15-16
	विभाग वार हीटवेव के पूर्व/हीटवेव के दौरान और हीटवेव के बाद के दौरान जिम्मेदारिय	16-20
4	हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारियों का प्रबंधन	21-23
	हीटवेव से संबंधित बीमारी की रोकथाम	21
	हीटवेव रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमोचार	21
	हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारियों की रोकथाम	22
	हीटवेव (लू) रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमोचार	22

	हीटवेव (लू) से प्रभावित मृतकों की पहचान करना तथा आंकड़ों का संग्रहण	23
	प्रारूप- हीट स्ट्रोक के मामलों और मौतों की दैनिक रिपोर्ट (राज्य सरकार को जनपद से प्रेषित)	24
	हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारियों के लिये जन स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्व तैयारी	24
	हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारियों के प्रबंधन के लिये जन स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्व तैयारी	24-25
5	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला प्रशासन द्वारा की गयी व की जाने वाली गतिविधियां।	26-28
	जनपद अलीगढ़ में हीट वेव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाने वाली तैयारियां	26
	हीट वेव प्रबंधन के लिए अभिनव कार्रवाई/सर्वोत्तम अभ्यास/उपाय	26
	गर्मी की लहर से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए अभिनव उपाय	28
	पिछले अनुभव से सीखा सबक	29
	पीड़ित लोगो के लिए वित्तीय प्राविधान	29-30

संलग्नक

क्र सं	संलग्नक	पेज न0
1	सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री।	31-43
2	महत्वपूर्ण फोन नम्बर की लिस्ट	44-46

अध्याय 01: पृष्ठभूमि एवं वस्तु स्थिति

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वर्ष 1981 और 1990 के बीच भारत में 413 दिन और 2011 और 2020 के बीच 600 दिन हीटवेव के थे। जिसके कारण भारत में वर्ष 1981 और 1990 के बीच 5,457 मृत्यु हुईं जो वर्ष 2011 और 2020 के बीच बढ़कर 11,555 हो गईं। इन ही कारणों से हीट वेव को आपदाओं की सूची में सम्मिलित किया गया है। हीट वेव का दुष्प्रभाव आर्थिक गतिविधियों, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन आदि पर देखा जा सकता है। है।

इस कार्ययोजना का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है कि जनपद अलीगढ़ में जब अप्रैल, मई और जून में हीटवेव की स्थिति उत्पन्न होगी तब इस स्थिति से निपटने के लिए पूर्व से ही तैयारियां रहे, ताकि इसके दुष्परिणामों को कम किया जा सके।

1.2 भौगोलिक स्थिति जनपद अलीगढ़

उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी भाग में पूर्वी देशान्तरों के मध्य गंगा-यमुना दोआब के बीच विस्तृत उपजाऊ क्षेत्र में अलीगढ़ मण्डल का महत्वपूर्ण जनपद है— अलीगढ़। उत्तरी पश्चिमी सीमा पर यमुना नदी इस जनपद को हरियाणा राज्य से अलग करती है। हाथरस जनपद दक्षिण तथा मथुरा जनपद दक्षिण पश्चिम में एटा जनपद पूर्व में एवं कांशीरामनगर जनपद दक्षिण पूर्व में इसकी सीमाओं पर स्थित हैं। उत्तर की ओर यह जनपद बुलन्दशहर तथा उत्तर पश्चिम में जनपद गौतमबुद्धनगर की सीमाओं से लगता है और उत्तर पूर्व में गंगा इस जनपद को बदायूँ जनपद से अलग करती है। अलीगढ़ जनपद का क्षेत्रफल 3650 वर्ग कि०मी० है, जो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.52 प्रतिशत है तथा यह अलीगढ़ मण्डल के कुल क्षेत्रफल का 36.24 प्रतिशत है।

1.3 प्रशासनिक संरचना जनपद अलीगढ़

प्रशासनिक दृष्टि से जनपद को 5 तहसीलों एवं 12 विकास खण्डों में बांटा गया है। जनपद में 1 नगर निगम, 2 नगरपालिका परिषदें तथा 15 नगर पंचायतें एवं 1 सेन्सस टाउन है। कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में 30 थाने हैं जिनमें से 14 नगरीय तथा 13 ग्रामीण क्षेत्र में हैं। जनपद में कुल 122 न्याय पंचायत, 853 ग्राम पंचायतें, 1200 आबाद ग्राम तथा 31 गैर आबाद ग्राम हैं। सर्वाधिक राजस्व ग्रामों वाला विकास खण्ड, लोधा है जहाँ 133 राजस्व ग्राम हैं। सबसे कम राजस्व ग्राम विकास खण्ड गौण्डा में 83 हैं।

1.4 विभिन्न क्षेत्रों पर हीटवेव (लू) का प्रभाव

आर्थिक प्रभाव:- ग्रीष्म लहर की लगातार घटनाएँ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

1-उदाहरण के लिये, कार्य दिवसों के नुकसान के कारण गरीब और सीमांत किसानों की आजीविका

नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।

2-ग्रीष्म लहर का दिहाड़ी मजदूरों की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

कृषि क्षेत्र पर प्रभाव:- जब तापमान आदर्श सीमा से अधिक हो जाता है तो फसल की पैदावार प्रभावित होती है।

1-हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों ने पिछले रबी मौसम में अपनी गेहूँ की उपज में नुकसान होने की सूचना दी है। भारत भर में ग्रीष्म लहरों के कारण गेहूँ के उत्पादन में 6-7 प्रतिशत कमी होने का अनुमान किया गया है।

2-पशुधन भी ग्रीष्म लहरों की चपेट में आते हैं जिनसे उनकी सेहत प्रभावित होती है और उत्पादकता घटती है।

3-कॉर्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि बढ़ते ग्रीष्म तनाव के कारण वर्ष 2100 तक भारत के शुष्क और अर्द्ध-शुष्क डेयरी फार्मिंग में दुग्ध उत्पादन में 25 प्रतिशत (वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में) की कमी आ सकती है।

बिजली के उपयोग पर प्रभाव:- ग्रीष्म लहर स्वाभाविक रूप से पावर लोड को प्रभावित करती है।

मानव मृत्यु:- ग्रीष्म लहरों के कारण मानव मृत्यु की स्थिति भी बनती है क्योंकि असह्य चरम तापमान, जनजागरूकता कार्यक्रमों की कमी और अपर्याप्त दीर्घकालिक शमन उपायों के कारण स्थिति गंभीर बनती जा रही है।

1-टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट और शिकागो विश्वविद्यालय की वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अत्यधिक गर्मी से प्रति वर्ष 1.5 मिलियन से अधिक लोग मृत्यु के शिकार होंगे।

2-बढ़ती गर्मी से मधुमेह, परिसंचरण एवं श्वसन संबंधी रोगों के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों में भी वृद्धि होगी।

खाद्य असुरक्षा:- ग्रीष्म लहर और सूखे की घटनाओं के मेल से फसल उत्पादन का नुकसान हो रहा है और वृक्ष सूख रहे हैं।

1-गर्मी के कारण श्रम उत्पादकता की हानि से खाद्य उत्पादन में आने वाली अप्रत्याशित कमी स्वास्थ्य और खाद्य उत्पादन के जोखिमों को और गंभीर कर देगी।

2-ये परस्पर प्रभाव विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों खाद्य कीमतों में वृद्धि करेंगे, घरेलू आय को कम कर देंगे और कुपोषण एवं जलवायु संबंधी मौतों को बढ़ावा देंगे।

श्रमिकों पर प्रभाव:- वर्ष 2030 में कृषि और निर्माण जैसे क्षेत्रों से संलग्न श्रमिक गंभीर

रूप से प्रभावित होंगे क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिये इन क्षेत्रों पर निर्भर है।

कमजोर वर्गों पर विशेष प्रभाव:- जलवायु विज्ञान समुदाय ने बृहत साक्ष्यों के साथ दावा किया है कि ग्रीनहाउस गैसों और एरोसोल के उत्सर्जन में वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय कटौती नहीं की जाएगी तो ग्रीष्म लहर जैसी चरम घटनाओं के भविष्य में और अधिक तीव्र, आवर्ती और दीर्घावधिक होने की ही संभावना है। यह याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि भारत में ग्रीष्म लहर की घटनाओं (जैसी स्थिति अभी है) में हजारों कमजोर और गरीब लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है, जबकि जलवायु संकट में उन्होंने सबसे कम योगदान किया है।

**1.5 विगत 05 वर्षों में सर्वाधिक तापमान तथा हीटवेव (लू) दिवस की संख्या
Highest temperature and number of heatwave days
during last 05 years**

Year	Maximum Temperature Recorded				
	March	April	May	June	July
2020	28	36	44	45	39
2021	30	38	44	45	38
2022	31	39	43	45	39
2023	36	39	43	45	39
2024	37	41	43	45	39

1.6 जनपद अलीगढ़ में हीट वेव की स्थिति तापमान के आधार पर निम्नवत्

जनपद	तापमान सीमा		
	येलो अलर्ट	ऑरेंज अलर्ट	रेड अलर्ट
आलीगढ़	40.3	42.55	44.8

अध्याय 2 - हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना की आवश्यकता

हीट-वेव के प्रबंधन के लिए जनपद में एक समन्वित बहु-एजेंसी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वर्तमान में, हीट-वेव की लहरों की समस्या को परिचालन स्तर पर प्रबंधित किया जा रहा है लेकिन इसे रणनीतिक स्तर पर प्रबंधित करने की आवश्यकता है। गर्मी की लहरों के प्रबंधन में स्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की आवश्यकता है, पर्याप्त सामरिक निगरानी, और कई प्रणालियों में सक्रियण और डेटा साझा करने के लिए ट्रिगर्स के आसपास अधिक स्पष्टता और पूरे समुदाय में अत्यधिक गर्मी के प्रभावों का मानचित्रण या विश्लेषण कर इसका प्रबन्धन किया जा सकता है।

2.2 हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना का उद्देश्य

हीट-वेव एक्शन प्लान का उद्देश्य जनपद खीरी में अत्यधिक गर्मी प्रतिक्रिया गतिविधियों के कार्यान्वयन, समन्वय और मूल्यांकन के लिए एक ढांचा प्रदान करना है जो अत्यधिक गर्मी के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य उन आबादी को उन जगहों पर गर्मी से संबंधित बीमारी के जोखिम के बारे में सचेत करना है जहां अत्यधिक गर्मी की स्थिति हैं। इसलिए जनपद की सभी तहसील/कस्बों में हीट वेव से निपटने के लिए एक योजना विकसित की गई है ताकि इसके नकारात्मकता प्रभाव को कम किया जा सके।

2.3 जनपद में लू के प्रति जोखिम का आंकलन (कमजोर वर्ग एवं क्षेत्र की पहचान करना)

व्यक्तिजिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, शिशु /छोटे बच्चे, गर्भवती या स्तनपान करवाने वाली महिलाएँ,व्यक्ति जिनका वजन ज्यादा है या जो स्थूलकाय हैं,व्यक्तिजो अधिक चल फिर नहीं सकते, व्यक्तिजिनका कोई घर नहीं है, व्यक्ति जो गर्म वातावरण में काम करते हैं, व्यक्ति जो गर्मी में जोशपूर्ण रूपसे व्यायाम करते हैं, व्यक्ति जिन्हें लम्बी/पुरानी बीमारियाँ है (जैसे कि दिल की बीमारी, ऊँचा रक्त चाप, डाईबिटीज या गुर्दे की बीमारी, मानसिक बीमारी, डिमेन्शिया याअन्य व्यक्ति जोशराब या मादक द्रव्यों का सेवन करते है), लोगजिन्हें घातक बीमारी है, जैसे कि कोई संक्रामक रोग जिसमें बुखार या आँतों में सूजन(Gastroenteritis) की बीमारी (दस्त अथवा उल्टी आना) आदि को गर्मी के मौसम में अपना ध्यान रखना चाहिए अन्यथा गर्मी के कारणउनको गम्भीर स्वस्थ समस्या हो सकती है।

हीट-वेव दुष्परिणाम का प्रभाव पशुओ पर भी पड़ता है इसलिएयह आवश्यक है की जनपद में पशुपालको की मैपिंग की जाए व उनको हीट-वेव के दौरान पशुपालन के लिए लि जाने वाली सावधानियों के विषय में जागरूक किया जाए व पशु के बीमार होने की स्थिति में उपचार उपलब्ध करवाना सुनिचित हो सके।

किसी भी आपदा के प्रबन्धन के लिए यह आवश्यक है की उसके जोखिम का मूल्यांक किया जाए ताकि उसके प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक तैयारिया समय पर हो सके।

2.4हीटवेव (लू) कार्ययोजना की प्रमुख रणनीतियाँ

हीट-वेव एक्शन प्लान का उद्देश्य सभी हितधारक विभागों के साथ समन्वय

इस्थापित कर हीट वेव के प्रकोप को न्युनिक्रित करने हेतु पूर्व में कार्य योजना का निर्माण करना तथा सभी की भूमिका और जिमेदारियों को निर्धारित करना है।

➤ **पूर्व चेतावनी प्रणाली और अंतर-एजेंसी:-** अनुमानित उच्च और चरम तापमान पर निवासियों को सचेत करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली और अंतर-एजेंसी समन्वय स्थापित करना अवश्यक है ताकि यह पूर्व में ही निर्धारित हो जाए की कौन क्या करेगा, कब और कैसे करेगा।

➤ **क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम:-** गर्मी से संबंधित बीमारियों की पहचान करने और प्रतिक्रिया देने के लिए स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए **क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम**, विशेष रूप से अत्यधिक गर्मी की घटनाओं के दौरान। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चिकित्सा अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि वे मृत्यु दर और बीमारी को कम करने के लिए गर्मी से संबंधित चिकित्सा मुद्दों को प्रभावी ढंग से रोक सकें और उनका प्रबंधन कर सकें।

➤ **व्यक्तिगत, सामुदायिक समूह और मीडिया:-** अत्यधिक गर्मी के प्रभावों से लड़ने के लिए व्यक्ति, सामुदायिक समूह और मीडिया की अहम भूमिका है क्योंकि इनके माध्यम से जनजागरूकता कार्यक्रम कर समुदाय का क्षमता निर्माण सम्भव है जिससे प्रशिक्षित व्यक्ति अपने आपको, अपने परिवार को और अपने समुदायों को हीट वेव की हानिकारक लहरों से बचाने के लिए क्या करे और क्या न करे के विशिष्ट निवारक कदमका उपयोग कर अपना बचाव कर सकता है जिनमें शामिल है—

- * हीट वेव के शुरुआती लक्षणों की स्थिति में स्वास्थ्य केंद्र से उपचार प्राप्त करना।
- * अत्यधिक गर्मी में खुले में काम ना करना एवं यदि आवश्यक हो तो काम सुबहा किया जाये।
- * अधिक तरल पदार्थ या पानी का नियमित सेवन करना।
- * दोपहर में धूप में निकलने से परहेज करना।
- * हल्के रंग के और सूती कपडे पहनना।
- * अपने साथी समुदाय के सदस्यों को हीट वेवके दुष्परिणाम से बचाव के लिए प्रशिक्षित करना आदि।

मीडिया स्वास्थ्य खतरों के बारे में समाचार साझा करके एक आवश्यक जागरूक समुदाय के निर्माणके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और विज्ञापन चलाकर और स्थानीय संसाधनों की जानकारी प्रदान करके सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है।

➤ **जन जागरूकता और सामुदायिक पहुँच:-** प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया और सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) सामग्री जैसे पैम्फलेट, पोस्टर और विज्ञापन और टेलीविजन विज्ञापनों (टीवीसी) के माध्यम से अत्यधिक गर्मी—लहर से बचाव के

बारे में जन जागरूकता संदेश प्रसारित करना और गर्मी से संबंधित बीमारियों के इलाज के उपाय।

- **गैर-सरकारी और नागरिक समाज के साथ सहयोग:-** गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग अस्थायी आश्रयों का निर्माण, जहां आवश्यक हो सार्वजनिक क्षेत्रों में जल वितरण प्रणाली और हीट वेव की स्थिति से निपटने के लिए अन्य नवीन उपाय।

2.5. हीट-वेव के संकेतक

भारत मौसम विज्ञान विभाग की हीट वेव के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली ठोस वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर आधारित संकेत है जिस से इसका पूर्व अनुमान संभव है जिसके लिए जलवायु संचालन संबंधी गतिविधियों के डाटा का विश्लेषण किया जाता है जिसके उपरान्त इनके द्वारा चेतावनी जारी की जाती है

2.6 हीट अलर्ट या हीट वार्निंग का पूर्वानुमान और चेतावनी आईएमडी द्वारा जारी करना

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD): आईएमडी हीट-वेव के लिए पूर्व में चेतावनी जारी करने हेतु नोडल विभाग है यह अपनी चेतावनी में इसके प्रभावों का उल्लेख भी करते हैं एवं इन प्रभावों को कम करने हेतु सुझाव भी देते हैं। ताकि हीट-वेव के दुष्परिणामों से होने वाली जन धन हानी को कम किया जा सके।

कलर कोड	सतर्क	चेतावनी	प्रभाव	सुझाव
हरा कोई कार्रवाई नहीं	सामान्य दिन	अधिकतम तापमान सामान्य है	आरामदायक तापमान। किसी सावधानी की आवश्यकता नहीं है	शून्य
पीला अलर्ट (तैयार रहें)	हीट अलर्ट	जिला स्तर पर लू की स्थिति, 2 दिनों तक बने रहने की संभावना है।	गर्मी आम जनता के लिए सहनीय है लेकिन कमजोर लोगों के लिए मध्यम स्वास्थ्य चिंता का विषय है उदाहरण शिशुओं, बुजुर्गों, पुरानी बीमारियों वाले लोग।	गर्मी के संपर्क में आने से बचें

ऑरेंज अलर्ट (तैयार रहें)	दिन के लिए भीषण गर्मी की चेतावनी	i. 2 दिनों तक भीषण लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। ii. इसकी अलग-अलग गंभीरता के कारण लू के 4 दिन या उससे अधिक समय तक बने रहने की संभावना है।	उन लोगों में गर्मी के लक्षणों की संभावना बढ़ जाती है जो या तो लंबे समय तक धूप में रहते हैं या भारी काम करते हैं। कमजोर लोगों जैसे शिशुओं, बुजुर्गों, पुरानी बीमारियों वाले लोगों के लिए उच्च स्वास्थ्य चिंता।	हीट एक्सपोजर से बचें— कूल रहें। डिहाइड्रेशन से बचें
रेड अलर्ट (कार्रवाई करें)	दिन के लिए अत्यधिक गर्मी की चेतावनी	i. भीषण गर्मी की लहर के 2 दिनों से अधिक समय तक रहने की संभावना है। ii. गंभीर गर्मी की लहर के दिनों की कुल संख्या 6 दिनों से अधिक होने की संभावना है।	सभी उम्र में हीट सिकनेस और हीट स्ट्रोक विकसित होने की बहुत अधिक संभावना है।	कमजोर लोगों के लिए अत्यधिक देखभाल की जरूरत है।

आइ०एम०डी० द्वारा हिट-वेव / लू के लिए दी जाने वाली चेतावनी का प्रारूप

2.7 हीटवेव पूर्व चेतावनी प्रसार तंत्र

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मौसम-संवेदनशील गतिविधियों के इष्टतम संचालन के लिए सभी मौसम संबंधी खतरों के लिए चेतावनी सहित वर्तमान और पूर्वानुमान मौसम की जानकारी प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी है। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, तेज हवाओं, भारी वर्षा/बर्फ, गरज-तूफान, ओलावृष्टि, धूल भरी आंधी, गर्मी की लहर/हीट वेव, गर्म रात, कोहरा, शीत लहर, ठंडी रात, जमीनी पाला आदि जैसी गंभीर मौसम की घटनाओं के खिलाफ चेतावनी प्रदान करता है। यह अपनी चेतावनी में वास्तविक समय डेटा और अधिकतम तापमान, गर्मी की लहर चेतावनी, चरम तापमान, और शहरों/ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गर्मी अलर्ट की मौसम भविष्यवाणी करते हैं।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को चेतावनी प्राप्त होते ही सभी एस०, डी०, एम० और तहसीलदार को ईमेल, फोन, व्हाट्सपप पर सूचित कर दिया जाता है जिसको आम जन

मानस को लेखपालों, बीडीओ, ग्राम प्रधानों आदि द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रचार-प्रसार कराया जाता है ताकि इसके दुष्परिणाम से बचाव संभव हो सके।

मानक परिचालन प्रक्रिया का सक्रियकरण

एसओसी (राहत आयुक्त कार्यालय/ यूपीएसडी)आईएमडी द्वारा जनपदों को प्रारंभिक चेतावनी जानकारी करना

प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एनआईसी द्वारा प्रारंभिक चेतावनी का प्रसार

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

- आपदा प्रबंधन के लिए इंटर एजेंसी समन्वय
- हिट वेव एसओपी के कार्यान्वयन की निगरानी
- जब आवश्यक हो, प्रतिक्रिया टीम की तैनाती करना प्रतिक्रिया करना

शिक्षा विभाग

स्वास्थ्य विभाग

आईसीएस

पंचायती राज विभाग

पशुपालन

परिवहन और पर्यटन

बिजली विभाग

श्रम विभाग

जल निगम

विभागीय हिट वेव कार्य योजना का क्रियान्वयन और एसओपी सक्रियण

अध्याय 03:- विभिन्न विभागों/एजेन्सी के चरणवार उत्तरदायित्व

गर्मी की लहरों के राज्य के प्रबंधन के लिए एक समन्वित बहु-एजेंसी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वर्तमान में, गर्मी की लहरों की समस्या को परिचालन स्तर पर प्रबंधित किया जा रहा है लेकिन इसे रणनीतिक स्तर पर प्रबंधित करने की आवश्यकता है। गर्मी की लहरों के प्रबंधन में स्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की आवश्यकता है, पर्याप्त सामरिक निगरानी, और कई प्रणालियों में सक्रियण और डेटा साझा करने के लिए ट्रिगर्स के आसपास अधिक स्पष्टता और पूरे समुदाय में अत्यधिक गर्मी के प्रभावों का मानचित्रण या विश्लेषण।

➤ प्री-हीट वेव (जनवरी से मार्च)

✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

- * हीट वेव के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की योजना पर अधिक ध्यान देने के लिए जिले में हीट वेव की चपेट में आने वाले उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की सूची तैयार करना।
- * समय-समय पर कार्य योजना की समीक्षा करने के लिए हीट वेव के प्रति प्रतिक्रिया तंत्र में शामिल संबंधित विभागों/एजेंसियों/एनजीओ के साथ बैठकें आयोजित करना।
- * चिकित्सा से जुड़े निवारक उपायों और उपचार प्रोटोकॉल में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, लिंक श्रमिकों, स्कूली बच्चों और स्थानीय समुदाय के लिए प्रशिक्षण आयोजित करें।
- * अस्पतालों, स्कूलों और पेशेवर संघों को भी स्थानीय भाषा में हीट स्ट्रेस से बचाव के टिप्स के साथ पैम्फलेट और पोस्टर सॉफ्ट कॉपी/हार्ड कॉपी प्रसारित करना।
- * आपदा प्रबंधन जिला वेब साइट (एनआईसी) पर हीट वेव एक्शन वेब पेज स्थापित करना।

✓ पंचायतीराज विभाग

- * गर्मी की लहर के मौसम के दौरान चेतावनी और सूचना पोस्ट करने के लिए क्षेत्रों की पहचान करना।

✓ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

- * सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) /स्थानीय अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों (UHC) में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स, फील्ड स्टाफ और लिंक श्रमिकों सहित चिकित्सा कर्मचारियों के लिए लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण प्रयासों और संचार को डिजाइन करना और शुरू करना।
- * गर्मी से संबंधित रुग्णता और मृत्यु दर को ट्रैक करने के लिए अस्पतालों में भर्ती और आपातकालीन मामले के रिकॉर्ड को अपडेट करना और दैनिक गर्मी से संबंधित डेटा और व्यवहार परिवर्तन प्रभावों को ट्रैक करने के लिए सरल, उपयोगकर्ता के अनुकूल साधन बनाना।
- * स्थानीय अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में गर्मी-केंद्रित परीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाना।
- * आपातकालीन अवधि के दौरान फील्ड स्तर के कर्मचारियों तक पहुंचने के लिए एसएमएस (SMS) सुविधा का विकास।
- * पीएचसी (PHC) और अन्य स्थानीय अस्पतालों में ओ0 आर0 एस0 (ORS)पाउडर सहित चिकित्सा आपूर्ति की सूची की जांच करना।
- * जिले के 108/102 आपातकालीन केंद्रों, एंबुलेंस और अस्पतालों के लिए पुनर्प्रयोग (Reuse) सॉफ्ट प्लास्टिक आइस पैक खरीदें और वितरित करें।

108/102 आपातकालीन सेवा के माध्यम से निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करना।

- * गर्मी से संबंधित बीमारी के बारे में पैरामेडिक्स के लिए हैंड आउट्स तैयार करें।
- * प्रमुख स्थानीय कार्यक्रमों के दौरान जन जागरूकता पैदा करने के लिए एंबुलेंस पर डिस्प्ले बनाएं।
- * उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की सूची का उपयोग करके कम से कम समय में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए मार्गों की पहचान करना और आबादी के कमजोर वर्गों तक पहुंचना।

✓ श्रम विभाग

- * अत्यधिक गर्मी के स्वास्थ्य प्रभावों और उच्च तापमान अवधि के दौरान किए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों पर नियोक्ताओं, बाहरी मजदूरों और श्रमिकों को जागरूक करें।
- * हीट अलर्ट और एक्शन कम्युनिकेशन में शामिल करने के लिए फ़ैक्ट्री के चिकित्सा अधिकारियों, ठेकेदारों और हाउस साइड नॉन-फ़ैक्ट्री वर्कर्स की सूची तैयार करना।

✓ पशुपालन विभाग

- * गर्मी की लहरों के दौरान मवेशियों और कुक्कुट की देखभाल के लिए सुझावों के साथ पोस्टर और पैम्फलेट तैयार करना।
- * जिला प्रमुखों एवं कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से गर्मी की अवधि में पशुओं एवं कुक्कुटों को बचाने के सुरक्षात्मक उपायों का प्रचार-प्रसार।
- * मवेशियों और कुक्कुटों के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं की सूची की जाँच करना। मवेशियों के लिए पीने के पानी की कमी होने पर पेयजल उपलब्ध कराने की योजना तैयार करना।

✓ शिक्षा विभाग

- * बच्चों के अनुकूल शैक्षिक निवारक प्रशिक्षण तैयार करना और स्थानीय स्कूलों में गर्मी संरक्षण सामग्री वितरित करना।
- * स्कूल के शिक्षकों को गर्मी संरक्षण युक्तियों और गतिविधियों के ज्ञान से लैस करने के लिए प्रशिक्षण जो वे कक्षाओं में प्रसारित कर सकते हैं।
- * सामान्य गर्मी की अवधि शुरू होने से पहले परीक्षाओं का समय निर्धारण।

✓ परिवहन विभाग

- * जोखिम क्षेत्रों की सूची प्राप्त करना और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बस समय और उपलब्ध आश्रयों की समीक्षा करना।
- * यात्रियों के प्रतीक्षा क्षेत्रों में छाया/आश्रय, पीने के पानी की योजना बनाना।
- * बसों, ऑटो, बस स्टेशनों पर एहतियाती उपायों (क्या करें और क्या न करें) का प्रदर्शन।

- * बस स्टेशनों में ओआरएस (ORS), आइस (ICE) पैकेट आदि और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना।

✓ अग्निशमन विभाग

- * किसी भी आग आपात स्थिति का सामना करने के लिए वाहनों और अग्निशमन उपकरणों की तैयारी की जांच करना।
- * प्री-हीट सीजन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने और इन समूहों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर जोर देने के साथ जनता, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और स्वैच्छिक समूहों (देखभाल करने वालों) को अलर्ट की संचार योजना के लिए समर्पित है।

➤ हीट वेव के दौरान (मार्च से जून)

हाई अलर्ट, स्थिति की निरंतर निगरानी, एक ओर संबंधित विभागों/एजेंसियों और जनता के साथ समन्वय

✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

- * पूर्वानुमान और स्थापित सीमा की गंभीरता से मेल खाने के लिए हीट अलर्ट स्तर की निगरानी करें और उसे बढ़ाएं।
- * गर्मी की चेतावनी के दौरान रिपोर्ट और ताजा विकास पर चर्चा करने के लिए नियमित (दैनिक, यदि आवश्यक हो) सम्मेलन आयोजित करें। प्रमुख एजेंसियों के साथ विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।
- * यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी हितधारकों के साथ संचार चैनल कार्यात्मक और संचालन कर रहे हैं।
- * ताजा पेयजल सहित प्रत्येक विभाग के साथ कर्मचारियों की उपस्थिति और आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- * बिजली आपूर्ति को सूचित करें, कंपनियां महत्वपूर्ण सुविधाओं (जैसे अस्पताल और यूएचसी) को बिजली बनाए रखने को प्राथमिकता दें।
- * गर्मी की चेतावनी समाप्त होने पर सभी हितधारकों को सूचित करें।

✓ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

- * अस्पतालों, पीएचसी और यूएचसी के आसपास गर्मी से संबंधित बीमारी की रोकथाम के सुझावों का प्रदर्शन।
- * सभी अस्पतालों-PHCS/ UHCs को दवाओं और सामग्री की अतिरिक्त आपूर्ति से लैस करें। गर्मी की बीमारी के इलाज और रोकथाम के प्रोटोकॉल को अपनाना सुनिश्चित करें।
- * यदि संभव हो, तो गर्मी की चेतावनी के दौरान मरीजों की आमद में भाग लेने के लिए अस्पतालों और पीएचसी/यूएचसी में अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात करें।
- * सभी पीएचसी/यूएचसी और अस्पतालों में आपातकालीन वार्ड तैयार रखें।
- * नोडल अधिकारी को प्रतिदिन हीटस्ट्रोक के मरीजों की सूचना दें और साप्ताहिक जनरेट करें।
- * हीट अलर्ट के दौरान नोडल अधिकारी के लिए हीट वेव के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों पर रिपोर्ट। मृत्यु प्रमाणपत्रों में मृत्यु का कारण दर्ज की जायें।

108/102 आपातकालीन सेवा के माध्यम से निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करना

- * एम्बुलेंस के लिए गतिशील रणनीतिक तैनाती योजना को सक्रिय करें।
- * आइस पैकट, और दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति।
- * पूर्व-अस्पताल देखभाल का सटीक रिकॉर्ड रखें।
- * ड्यूटी पर पर्याप्त कर्मचारी और यदि आवश्यक हो तो छुट्टी को प्रतिबंधित करें।

✓ श्रम विभाग

- * गर्मी की चेतावनी के दौरान नियोक्ताओं को दोपहर के व्यस्त समय (दोपहर 12-3 बजे) से बाहर काम करने वालों के शेड्यूल को बदलने के लिए प्रोत्साहित करें।
- * निर्माण श्रमिकों को आपातकालीन आइस पैक और गर्मी-बीमारी की रोकथाम सामग्री प्रदान करना सुनिश्चित करना।
- * नियोक्ताओं द्वारा कार्यस्थलों पर आश्रय/कूलिंग क्षेत्रों, पानी और आपातकालीन दवाओं जैसे ओआरएस, IV तरल पदार्थ आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करे।

✓ पशुपालन विभाग

- * गांवों और महत्वपूर्ण चौराहों पर गर्मी की अवधि के दौरान मवेशियों और कुक्कुट पक्षियों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले एहतियाती उपायों पर पोस्टर प्रदर्शित करें और पैम्फलेट वितरित करें।
- * सभी पशु चिकित्सालयों में दवाओं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करें।
- * मवेशियों/मुर्गी पक्षियों के उपचार में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए गांवों में हीट वेव के दौरान फील्ड स्टाफ का दौरा सुनिश्चित करें।

✓ शिक्षा विभाग

- * यदि स्कूल चल रहा है तो छात्रों और शिक्षकों के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें।

✓ परिवहन विभाग

- * बस स्टैंड, ऑटोस्टैंड में गर्मी से होने वाली बीमारी से बचाव पर पोस्टर प्रदर्शित करें।
- * बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड आदि में छाया/आश्रय, पेयजल, आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

✓ अग्निशमन विभाग

- * गर्मी चेतावनी अवधि के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
- * आग से लड़ने के लिए पानी और फोम की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें।

➤ पोस्ट-हीट वेव (जुलाई से दिसंबर)

✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

- * प्रक्रिया मूल्यांकन और सुधार के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा की समीक्षा।
- * प्रमुख विभागों/एजेंसियों और संबंधित हितधारकों के साथ बैठक आयोजित करके हीट वेव एक्शन प्लान का वार्षिक मूल्यांकन।
- * पहुंच और प्रभाव के आधार पर योजना प्रक्रिया का मूल्यांकन करें। प्रदर्शन, फीडबैक के आधार पर योजना में संशोधन।

✓ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

- * गर्मी के दौरान गर्मी से संबंधित मृत्यु दर की महामारी विज्ञान मामले की समीक्षा करें।
- * औसत दैनिक तापमान के आधार पर गर्मी जोखिम कारकों, बीमारी और मृत्यु पर डेटा से महामारी विज्ञान के परिणामों का संचालन और संग्रह करें।
- * हीट वेवयोजना के हस्तक्षेप से पहले और बाद में डेटा के आधार पर मृत्यु दर और रुग्णता दर को मापें।
- * संशोधित हीट वेव प्लान की समीक्षा करें।
- * 108/104 आपातकालीन सेवा सुनिश्चित करें।

गर्मी के अंत में यह मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है कि गर्मी स्वास्थ्य कार्य योजना ने काम किया है या नहीं। योजना का निरंतर अद्यतन एक आवश्यकता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन से गर्मी की लहरों की आवृत्ति, तीव्रता और अवधि और इसके कारण होने वाली मौतों में और वृद्धि होने का अनुमान है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, निवारक उपायों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन से अतिरिक्त खतरे को समय के साथ समायोजित किया जा सकता है। जो उपाय अभी प्रभावी हैं, वे आने वाले दशकों में शायद अब प्रभावी न हों।

3.1 विभाग वार हीटवेव के पूर्व के समय (जनवरी-मार्च)-लू/हीटवेव के दौरान (अप्रैल-जून) और लू/हीटवेव के बाद के समय (जुलाई-दिसम्बर) के दौरान जिम्मेदारियां:-

विभाग का नाम Department	कार्रवाईयाँ Activities लू के पूर्व के समय (जनवरी-मार्च) Pre Heat Season (Jan- March)	कार्रवाईयाँ Activities लू के दौरान (अप्रैल-जून) During the Heat Season (April - June)	कार्रवाईयाँ Activities लू के बाद (जुलाई-दिसम्बर) During the Heat Season (July - December)
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	➤ हीटवेव से बचाव हेतु सभी विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने विभागों के लिये 'हीटवेव प्लान' तैयार करने के निर्देश जारी करना।	➤ हीटवेव से बचाव हेतु जन जागरूकता अभियान चलाना। ➤ समाचार पत्रों के माध्यम से लू के बचाव का प्रचार प्रसार करवाना।	➤ हीटवेव से बचाव हेतु सभी विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने विभागों के लिये 'हीटवेव प्लान'

			का निरीक्षण करना।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	<ul style="list-style-type: none"> ➤ समस्त जिला चिकित्सालय में 01 वार्ड एवं सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्रों पर 04-04 बड़े हीट वेव के मरीजों हेतु आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया है। ➤ चिकित्सालय में स्थापित समस्त उपकरणों को किर्याशील रखना सुनिश्चित करेंगे यदि कोई उपकरण खराब है तो उक्त को समन्वित कंपनी के माध्यम से ठीक कराना सुनिश्चित करेंगे। ➤ मरीजों के लिए कूलरूम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ हीट वेव हेतु अपने-अपने चिकित्सालय में ओ आर एस, फ्लूइड, आइस पैक एवं समस्त आवश्यक औषधियों रखना सुनिश्चित करेंगे। ➤ चिकित्सा इकाइयों पर पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, अत्यधिक तापमान की स्थितियों का सामना करने के लिए चिकित्सा इकाइयों पर कूलिंग उपकरणों की निरन्तर क्रियाशीलता सुनिश्चित करेंगे। 	
पशु चिकित्सालय विभाग	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पीने की पानी की समुचित व्यवस्था उलब्ध करने की सलाह दी गयी है। पशु चिकित्साधिकारियों/पशुधन प्रसार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भ्रमण कर पशुपालकों को ऐसे विषय में जागरूक करे की वह पशुओं को दिनभर में 4 से 5 बार पानी अवश्य पिलाये और समान धोने/कृषि कार्य करने वाले पशुओं को सुस्ताने के बाद ही पानी पिलाया जाये। हीट वेव से बचाव के लिए जनपद में ग्राम पंचायत एवं सिंचाई विभाग के सहयोग से सूखे हुए तालाब के पानी से भरवाये जाने की 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ अत्यधिक गर्मी के कारण हरे चारे की पत्तियां विषाक्त हो जाती हैं, जिसको खाने से पशुओं को अफारा व दस्त की शिकायत हो जाती है, जिसके बचाव हेतु पशु चिकित्सालयों पर फ्लूइड व सोडियम थायो सल्फेट की व्यवस्था की गयी है। ➤ टीम गठन जिसका दायित्व होगा की वह अपने क्षेत्र में भ्रमण कर ये सुनिश्चित कर ले कि किसी भी पशु में हीट वेव की स्थिति होने पर उसे तुरंत उचित उपचार प्रदान किया जा सके। 	

	<p>व्यवस्था अति आवश्यक है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ हरे चारे की व्यवस्था अधिकारियों के माध्यम से सुझाव दिए गए हैं कि हरे चारे की व्यवस्था करे। ➤ हीट वेव की निगरानी हेतु प्रत्येक विकास खंड स्तर पर एक टीम का गठन किया गया है। ➤ हीट वेव के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु वैक्सीन का टीकाकरण पशुओं में निशुल्क पशु स्वामी के द्वार पर जाकर कराया जायेगा। ➤ हीटवेव के कारण पशुओं में हीटस्ट्रोक, डायरिया, डिहाईड्रेशन आदि बीमारियों की सम्भावना बनी रहती है, जिसके लिए पशु चिकित्सालयों पर ग्लुकोस, नार्मलस्लाइन, एन्टीहिस्टेमिनिक, कार्टीकोस्टराइड एवं एन्टीबायोटिक आदि जीवन रक्षक औषधियों की आपूर्ति किये जाने का प्रस्ताव है। 		
<p>अग्निशमन विभाग</p>	<p>फायर सर्विस बागपत द्वारा अग्नि सचेतक योजना के तहत विभिन्न प्रकार के अग्नि सुरक्षा तथा आपात प्रबंधन के विषयों पर जन जागरूकता अभियान चलाये जाते हैं। वर्तमान में जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम 100 अग्नि सचेतक युवाओं को प्रशिक्षित कर पंजीकृत किया गया है। जिनके</p>	<p>फायर सर्विस बागपत द्वारा निरन्तर प्रचार के साथ – साथ जनपद के सभी फायर स्टेशनो पर वाहन/उपकरण तथा मानव संसाधन को हीट वेव के दौरान लगने वाली आग से वृद्धि होने के दृष्टिगत महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित कर अग्नि सचेतको को त्वरित</p>	<p>अग्नि सचेतक योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षित करना तथा प्रचार प्रसार करना।</p>

	माध्यम से जागरूकता अभियान में हीट वेव से सम्बंधित बिन्दुओं पर भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है ।	कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते रहेंगे ।	
कृषि विभाग	भारतीय मौसम विभाग, रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से स्थानीय मौसम एवं तापमान की जानकारी किसानों तक पहुँचाना ।	कृषकों को विभिन्न माध्यम (किसान मेला, गोष्ठी, किसान, पाठशाला, आदि) से लू से बचाव हेतु जागरूक किया जाता है, जिससे फसलों का बचाव किया जा सके । प्रमुख सुझाव निम्नवत है । ➤ फसलों व सब्जियों को लू से बचने के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग किया जा सकता है, जिससे जमीन में पर्याप्त नमी बनी रहे । ➤ खेतों की निराई-गुड़ाई समय पर करे जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और नमी बनी रहती है । ➤ फसलों की सिंचाई सुबह 05 से 10 बजे तक और सायं काल के 05 बजे से रात तक करने से फसलों का लू के प्रकोप से बचाव होता है । ➤ गर्मी अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है इसके बचाव में समय समय पर सिंचाई करते रहे एवं सिंचाई हल्की करनी चाहिये	➤ वर्षा ऋतु में खेत की मेड़ों पर वृक्ष लगाएँ । ➤ किसानों को बताना है कि पराली और फसल के अवशेष न जलायें ।
जिला बेसिक शिक्षा बागपत ।	➤ समस्त विद्यालयों में आगामी माह में अत्याधिक गर्मी से बचाव हेतु कक्षा-कक्षों में	➤ समस्त परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर निर्देशित करते हुये छात्र/छात्राओं	➤ मौसम परिवर्तित होने पर शरीर को पूर्ण रूप से ढकने वाले कपड़ों क

	<p>छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुसार पंखों की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये।</p> <p>➤ ठण्डे एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तथा विद्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाये।</p>	<p>को लू के दौरान बिन्दुवार सावधानियाँ रखने की सलाह—</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ छात्र/छात्राओं एवं शिक्षकों को पर्याप्त और नियमित अंतराल पर पानी पीते रहे। ✓ खुद को हाईड्रेड रखने के लिये ओ०आर०एस० घोल नारियल पानी, नीबू पानी, छाछ, आदि घरेलू पेय पदार्थों का इस्तमाल करे। ✓ हल्के रंग के ढीले ढाले और सूती कपडे पहन। ✓ धूप में निकलते समय सिर को ढक कर रखे। ✓ विद्यालयों में साफ एवं ठण्डे पानी की व्यवस्था किया। ✓ बहुत अधिक आवश्यकता होने पर धूप/गर्मी में घर से वाहर निकले। ✓ कक्षा-कक्ष की खिडकियों को खुल रखे और कमरों में पंखों की व्यवस्था करें। ✓ अचानक ठण्डी जगह से एक दम गर्म जगह में न जाये। ✓ गर्मी के मौसम में चाय कॉफी गरम पेय का सेवन कम करें एवं मसालेदार चीजों का सेवन कम करे। <p>सभी छात्र/छात्राओं को सलाह दी जाये कि घर से निकलते समय खाली पेट न जाये। हल्का व शीघ्र पचने वाला भोजन।</p>	<p>इस्तमाल करने हेतु समस्त छात्र/छात्राओं को जागरुक किया जाये। जुलाई अगस्त माह में वर्षा वाले मौसम में होने वाली बीमारियों के प्रति छात्र/छात्राओं को जागरुक किया जाना।</p>
--	--	--	---

अध्याय 04:- हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारियों का प्रबंधन

हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारियों का प्रबंधन—

लू (हीट-वेव) से सम्बन्धित बीमारी तब होती है जब शरीर स्वयं को पर्याप्त रूप से ठण्डा करने में असमर्थ होता है हीटवेव से उत्पन्न प्रमुख लक्षणों के अन्तर्गत शरीर से बहुत अधिक पसीना बहने व शरीर के निर्जलीकृत हो जाने के कारण बहुत अधिक थकान महसूस होती है, व्यक्ति को चकर आते हैं, पसीना बहना बन्द हो जाता है तथा शरीर का मुख्य तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है।

4.2 हीटवेव से संबंधित बीमारी की रोकथाम—

- * कार्य हेतु घर से बाहर निकलने से पहले पर्याप्त रूप से तरल पदार्थों का सेवन करना।
- * जहां तक सम्भव हो दोपहर के समय जब हीटवेव अपने चरम की स्थिति में हो तब खुले में कार्य करने से बचना चाहिए।
- * तरल पदार्थों का नियमित रूप से सेवन करना।
- * हीटवेव से सम्बन्धित बीमारियों के लक्षणों के दिखाई देने पर तुरन्त नजदीकी चिकित्सा सहायता लेना।
- * तेज धूप में निकलने से बचे अगर तेज धूप में निकलना जरूरी है तो निकलते वक्त छाता लगा ले या टोपी पहन ले एवं ऐसे कपड़े पहने जिससे शरीर अधिक से अधिक ढका हो।
- * हीट-स्ट्रोक से बचने के लिए जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर घर से बाहर निकला जाय एवं समय-समय पर पानी का प्रयोग करते रहना चाहिए।
- * निर्जलीकरण से बचने के लिए अति आवश्यक है कि अधिक मात्रा में पानी, मौसमी फलों के रस, गन्ने का रस, कच्चे आम का रस, नारियल का पानी, ओ0आर0एस0 घोल, का उपयोग किया जाय।
- * चाय तथा काफी पीने से परहेज करें।
- * अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति गर्मी से पीड़ित है तो व्यक्ति को छायादार स्थान के नीचे किसी ठंडी जगह पर ले जाय। पानी या निर्जल पेय दें।
- * लंबे समय तक स्वास्थ्य खराब महसूस होने पर डाक्टर की सलाह लें।
- * शराब, कैफीन कोई की नशीली वस्तु न दें।
- * अपने चेहरे/शरीर पर एक गीला कपड़ा रखकर व्यक्ति को ठंडा करें।
- * बेहतर वेंटिलेशन के लिए ढीले कपड़े पहने।
- * आपातकालीन किट अवश्य बनाय कर रखे निश्चित स्थान पर ही रखे।
- * पानी की बोतल हमेशा साथ रखें।

* छाता, टोपी, सिर ढकने के लिए तौलिया, गमछा आदि पास में रखे।

4.3 हीटवेव रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमोचार—

- * गर्म लाल, शुष्क त्वचा का होना, पसीना न आना।
- * तेज पल्स होना।
- * उथले श्वास गति में तेजी
- * व्यवहार में परिवर्तन, भ्रम की स्थिति।
- * सिर दर्द, मतली, थकान, और कमजोरी होना, चक्कर आना।
- * मूत्र का न होना अथवा इसमें कमी का आना।
- * सर्वप्रथम व्यक्ति का तापमान लेकर प्रभावित व्यक्ति को किसी छायादार स्थान पर ले जाना चाहिए।
- * मरीज को ठंडी करे तथा उसके शरीर को स्पंज अथवा गीले कपड़ों से पोछे।
- * मनुष्य के शरीर के उच्च तापमान को नियंत्रित कर 100 डिग्री फा0 तक रखने प्रयास करें।
- * मरीज को ठंडी जगह में रखें।
- * मरीज को ठंडे पानी के टप में रखे अथवा उसके उपर बर्फ की पट्टी रखे जब तक कि उसका तापमान 100 डिग्री0 फा0 तक न हो जाये।
- * निर्जलीकरण की स्थिति में आई0वी0 फलूडस दें।
- * गम्भीर रोगियों को स्थानीय चिकित्सालय/इकाई में भेजकर उपचार करायें।
- * व्यक्ति के त्वचा पर ठण्डे पानी का छिडकाव करना चाहिए तथा पंखे की सहायता से हवा देनी चाहिए।
- * सचेत होने की अवस्था में पीड़ित व्यक्ति को नियमित तरल पदार्थ/ओ0आर0ए0 घोल देना चाहिए।
- * पीड़ित व्यक्तियों को यथा शीघ्र सहायता देना चाहिए।

4.4 हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारियों की रोकथाम

गर्मियों के मौसम में लू चलना आम बात है। लू लगना गर्मी के मौसम की बीमारी है। लू लगने का प्रमुख कारण शरीर में नमक और पानी की कमी होना है। पसीने के रूप में नमक और पानी का बड़ा हिस्सा शरीर से निकलकर खून की गर्मी को बढ़ा देता है। सिर में भारीपन मालूम होने लगता है, नाड़ी की गति बढ़ने लगती है, खून की गति भी तेज हो जाती है। सांस की गति भी ठीक नहीं रहती तथा शरीर में ऐंठन सी लगती है। बुखार काफी बढ़ जाता है। हाथ और पैरों के तालुआ में जलन सी होती रहती है। आँखें भी जलती हैं। इससे अचानक बेहोशी व अंततः रोगी की मौत भी हो सकती है।

4.5 हीटवेव (लू) रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमोपचार

हीट सम्बन्धित रोग	लक्षण	प्रथमोपचार
सन बर्न (घमौरियां)	त्वचा के लालीमा तथा दर्द, सूजन, फफोले, बुखार तथा सरदर्द।	साबुन का उपयोग करते हुए शावर आदि में स्नान कराना ताकि तेल से बन्द रोम छिद्र खुल जाए और शरीर प्राकृतिक रूप से शीतल हो सके। यदि फफोले पाये जाते हैं तो सूखे निर्जीवाणुक ड्रेसिंग का उपयोग करे तथा चिकित्सकीय सलाह लें।
गर्मी की अकड़न	हाथ, पैर व पैट में दर्द के साथ एंठन, व ज्यादा पसीना आना।	पीड़ित व्यक्ति को ठण्डे तथा छायादार स्थान पर ले जाए, क्रैम्पिंग मांसपेशियों पर दबाव डालें तथा एंठन से आराम हेतु हल्की मालिश करें। पानी की बूंद बूंद पिलायें। यदि जी मचले तो पानी देना बन्द कर दें।
गर्मी से थकावट	अत्यधिक पसीना आना, कमजोरी, त्वचा ठण्डी पीली तथा चिप-चिपी, सरदर्द, सामान्य तापमान में भी धड़कन कम होना, बेहोषी तथा उल्टी।	ठण्डे स्थान में मरीज को लेटायें। वस्त्र को ढीला करें ठण्डे कपड़े का उपयोग करें, मरीज को पंखा करें या वातानुकूलित स्थान में ले जाए। पानी की बूंद बूंद कर पिलायें, यदि जी मचले तो इसे देना बन्द कर दें। यदि उल्टी होती है तो 108 या 102 नम्बर की एम्बुलेंस द्वारा चिकित्सालय में भर्ती करायें।
लू लगना	उच्च शारीरिक तापमान, अधिक गर्म या सूखी त्वचा, तेज धड़कन, बेहोषी आना तथा पसीना आना बंद हो जाना।	हीट स्टोक गंभीर चिकित्सकीय स्थिति। 108 तथा 102 नम्बर पर एम्बुलेंस को चिकित्सा सेवा हेतु तत्काल कॉल करना चाहिए, या मरीज को तुरन्त अस्पताल ले जाना चाहिए। विलम्ब प्राण घातक साबित हो सकता है। मरीज को तत्काल ठण्डे वातावरण में ले जाना चाहिए या बर्फीले पानी की स्पंजिंग करते रहना चाहिए।

4.6 हीटवेव (लू) से प्रभावित मृतकों की पहचान करना तथा आंकड़ों का संग्रहण

हीट वेव से हाने वाले मृतकों एवं परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक राहत दी जाती है। अतः मृत्यु के कारण की पहचान किया जाना आवश्यक है। हीट वेव प्रभावितों की पहचान करना तथा इनसे हुई मृत्यु को दर्ज करना:- हीट वेव प्रभावितों की पहचान करना तथा इनसे हुई मृत्यु/मृतकों को दर्ज करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पूर्व के अनुभवों से यह भी स्पष्ट होता है कि गलत रिपोर्टिंग को सत्यापित किया जाए, जिसके लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:-

- * विशेष स्थान तथा समय के अधिकतम तापमान को दर्ज किया जाए।
- * रोग संबंधी घटनाओं डिजीज इंसीडेन्स पंचनामा तथा दूसरें गवाहों या प्रमाणों या वर्बल ऑटोप्सी दर्ज करना।

- * कारणों सहित पोस्ट मार्टम, चिकित्सीय जाँच की रिपोर्ट।
- * स्थानीय अधिकारी, या स्थानीय निकाय द्वारा पूछताछ/सत्यापन रिपोर्ट।

4.7 प्रारूप- हीट स्ट्रोक के मामलों और मौतों की दैनिक रिपोर्ट (राज्य सरकार को जनपद से प्रेषित)

क्र	ग्राम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	ब्लॉक/शहर	नाम व पिता/पति का नाम	ग्रामीण/शहरी क्षेत्र	बी०पी०एल० हॉ/ना	आयु/लिंग	लू आघात होने का दिनांक	कोई पूर्वगामी बीमारी	मृत्यु का कारण	एम०ओ० व एम० आर०ओ० द्वारा कुल मृत्यु की पुष्टि

4.8 हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारियों के लिये जन स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्व तैयारी-

- * इस हेतु आई०ई०सी० के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान चलाना प्रभावकारी होगा। ए०एन०एम०व आषा के माध्यम से सामान्य जनता को लू/हीट वेव से बचाव तथा त्वरित उपचार हेतु जागृत किया जायें।
- * हीट वेव रोग में प्रभावी निरोधात्मक एवं प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड ट्रीटमेन्ट की जानकारी चिकित्सकों द्वारा फार्मासिस्ट हेतु आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। सभी चिकित्सालयों में लू/हीट प्रभावित रोगियों के परीक्षण व उपचार की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायें। तथा ओ०आर०एस० व आई०वी०प्लूड का पर्याप्त स्टॉक रखा जायें।
- * भीड़ भाड़ वाले जगहों पर चिकित्सा चौकी स्थापित करना।
- * चूँकि हीट संबंधी रूग्णता/रोग परिहार्य/परिवर्तनीय है, इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि ससेप्टिबल/संवेदनशील व्यक्तियों द्वारा उपयुक्त निरोधात्मक रणनीति अपनायी जाए।
- * ग्राम स्तर के कर्मचारीयों सहित सभी कर्मचारीयों को लू/हीट वेव के प्रभाव पर शमनात्मक व निरोधात्मक कार्यवाही हेतु प्रशिक्षित किया जायें।

4.9 हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारियों के प्रबंधन के लिये जन स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्व तैयारी-

विभिन्न हीट वेव रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमोपचार की तालिका निम्नानुसार है:-

हीट संबंधी रोग (हीट डिस ऑर्डर)	लक्षण	प्राथमिक उपचार
सन बर्न	त्वचा में लालिमा तथा दर्द, सूजन, फफोले, बुखार तथा सिरदर्द।	साबुन का उपयोग करते हुये शावर आदि में स्नान कराना ताकि त्वचा में तेल से बन्द छिद्र खुल जाए और शरीर प्राकृतिक रूप से शीतल हो सके। यदि फफोले पाये जाते हैं तो सूखे विसंक्रामक ड्रेसिंग का उपयोग करें तथा चिकित्सकीय सलाह लें।

हीट क्रैम्प्स	उदरीय मांश पेशियों तथा हाथ, पैर की तकलीफदेह एंठन ज्यादा पसीना आना।	पीड़ित व्यक्ति को ठण्डे तथा छायादार स्थान पर ले जाएं, क्रैम्पिंग मांसपेशियों पर दबाव डालें तथा एंठन से आराम हेतु हल्की मालिश करें। पानी को बूंद-बूंद के रूप में पिलायें। यदि जी मचले तो पानी देना बन्द कर दें।
हीट एकजाशन	अत्यधिक पसीना आना, कमजोरी, त्वचा ठण्डी पीली तथा चिप-चिपी होना, सिरदर्दसामान्य तापमान मे भी होना संभव, बेहोशी, उल्टी।	ठण्डे स्थान में मरीज को लेटायें फिर वस्त्र को ढीला करें। ठण्डे कपड़े का उपयोग करें, मरीज को पंखा करें या वातानुकूलित स्थान में ले जाए। पानी को बूंद-बूंद करके पिलायें; यदि जी मचले तो इसे देना बन्द कर दें। यदि उल्टी होती है तो 108 या 102 नम्बर की एम्बुलेंस द्वारा चिकित्सालय में भर्ती करायें।
हीट स्ट्रोक (सन स्ट्रोक)	उच्च शारीरिक तापमान (106° या अधिक) गर्म शुष्क त्वचा, तेज जोरदार नाड़ी (पल्स), बेहोशी आना तथा मरीज को पसीना आना बंद हो जाए।	हीट स्ट्रोक गंभीर चिकित्सकीय स्थिति। 108 तथा 102 नम्बर पर एम्बुलेंस को चिकित्सा सेवा हेतु तत्काल कॉल करना चाहिए, या मरीज को तुरन्त अस्पताल ले जाना चाहिए। विलम्ब प्राण घातक साबित हो सकता है। मरीज को तत्काल ठण्डे वातावरण में ले जाना चाहिए या बर्फालें पानी की स्पंजिंग करते रहना चाहिए।

अध्याय 05:-जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिलाप्रशासन द्वारा की गयीव की जाने वाली गतिविधियां।

जिला आपदा प्रबंधन कार्यलय जनपद अलीगढ नियमित रूप से समुदाय के कमजोर वर्ग की आपदा तैयारियों को बढ़ाने के लिए व समुदाय के क्षमता निर्माण के लिए कार्य करता है। जिसके लिए समय समय पर जनजागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन ग्राम स्तर पर, स्कूल स्तर पर प्रशिक्षण के माध्यम से करता है जिसमे रास्ट्रीय आपदा प्रबन्धन व राज्य आपदा प्रबन्धन द्वारा आपदा जागरुकता के लिए तैयार ऑडियो विडियो की क्लिप्स का भी प्रयोग किया जाता है एवं पोस्टर वा पेम्पलेट वितरित किये जाते है

इसके अतिरिक्त जिला आपदा प्रबन्धन समिति की बैठको में सभी हितधारक विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आपदा जोखिम के न्यूनीकरण के लिए कार्य किया जाता है इस वर्ष भी सभी हितधारक विभागों की बैठक आयोजित की जायेगी जिसमे हीट वेव के लिए पूर्व में की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा की जायेगी वा सभी हितधारक विभागों की भूमिका और जिम्मेदारिया निर्धारित की जायेगी जिसे हीट वेव का प्रबन्धन संभव हो सके

5.1 जनपद अलीगढ मे हीट वेव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाने वाली तैयारिया

- ✓ संक्रामक रोग/दैवीय आपदा नियंत्रण सचल दल रैपिड रिस्पांस टीम का गठन
- ✓ जिला चिकित्सालय में 01 वार्ड एवं सामु0स्वा0 केन्द्रों पर 04-04 बेड हीट वेव के मरीजों हेतु आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया।
- ✓ हीट वेव हेतु अपने अपने चिकित्सालय में ओ०आर०एस० पैकेट, आईस पैक एवं समस्त आवश्यक औषधिया पर्याप्त मात्रा में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- ✓ चिकित्सालय में स्थापित समस्त उपकरणों को क्रियाशील रखना सुनिश्चित करेंगे यदि कोई उपकरण खराब है तो उक्त को संबंधित कम्पनी के माध्यम से ठीक कराना सुनिश्चित करेंगे।
- ✓ चिकित्सा इकाइयों पर पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, अत्यधिक तापमान की स्थितियों (एक्स्ट्रीम हिट कडशीन) का सामना करने के लिये चिकित्सा इकाइयों पर कूलिंग उपकरणों की निरंतर क्रियाशीलता सुनिश्चित करेंगे।
- ✓ मरीजों के लिये कूलरूम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- ✓ आम जनमानस को पर्याप्त प्रचार-प्रसार करते हुए जागरुक किये जानें हेतु निर्देशित किया गया।

5.2 हीट वेवप्रबंधन के लिए अभिनव कार्रवाई/सर्वोत्तम अभ्यास/उपाय

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अलीगढ हीट वेव से निपटने के लिए अल्पकालिक योजना और दीर्घकालिक योजना पर काम कर रहा है।

अल्पकालिक योजना

तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक योजना बनाई गई है जिसमें जागरुकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, आईईसी सामग्री का वितरण, गर्मी की

लहर की स्थिति से निपटने के लिए जाने वाली तैयारियों की योजना, प्रतिक्रिया योजना और राहत योजनाएं तैयार करना है। इसके अतिरिक्त स्टैकहोल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित कर सबकी भूमिका और जिम्मेदारी निर्धारित करना है ताकि हीट वेव के दुष्परिणाम से आम जनमानस का बचाव सम्भव हो सके।

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

- * **जिला आपदा प्रबन्धन समिति की बैठक** जिलाधिकारी मोहदय की अध्यक्षता में सभी स्टैकहोल्डरके साथ मार्च माह में के आखरी हफ्ते तक सम्पन्न की जायेगी जिसमे सभी विभागों की भूमिका और जिम्मेदारिया निर्धारित की जायेगी
- * जिले के सभी ग्रामों में ग्राम प्रधान, लेखपाल व ग्रामविकास अधिकारियों द्वारा हीट वेव से बचाव के लिए क्या करे व क्या न करे पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएजा जिसको 15 अप्रैल, 2024 तक सम्पन्न किया जायेगा
- * जिले के सभी स्कूल व डिग्री कॉलेज में भी हीट वेव से बचाव के लिए क्या करे व क्या न करे पर **जागरूकता अभियान** किया जायेगा जिसको 15 अप्रैल, 2024 तक सम्पन्न किया जायेगा
- * उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा हीट वेव पर जन जागरूकता हेतु दिये गये **पोस्टर्स को जिले के सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों में** पंचायती विभाग के माध्यम से लगवाया जाना 15 अप्रैल, 2024 तक सम्पन्न किया जायेगा
- * जिला चिकित्सा अधिकारी मोहदय की माध्यम से जिले से सुनिश्चित किया जायेगा की **हीट वेव से संबंधित बीमारियों को पहचानने और चिकित्सा करने की प्रक्रिया** पर जिले स्तर पर डॉक्टरों, पैरा मेडिकल स्टाफ आशा कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जाये।
- * जिले में हीट वेव सम्बन्धी बीमारियों के उपचार हेतु **दवाइयों की आपूर्ति** सभी चिकित्सालयों में सुनिश्चित की जायेगी वा **दवाइयों का पर्याप्त बफर स्टॉक** की व्यवस्था चिकित्सा विभाग द्वारा करवाई जायेगी
- * जिले में जल आपूर्ति हेतु जल निगम को पर्याप्त व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया जायेगा ताकि ग्रीष्म ऋतू में पानी की कमी न हो पाये
- * सर्वजनिक स्थलों पर भी पिने योग्य जल की व्यवस्था करवाई जायेगी
- * जिले के रेन बसेरो में कूलर व पंखों की व्यवस्था नगरपालिका विभाग के द्वारा करवाई जायेगी
- * बजली विभाग को निर्देशित किया जायेगा की जिले में ग्रीष्म ऋतू में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चितकी जाये
- * IMDकी चेतावनी के अनुरूप हीट वेव के दौरान MNREGA में काम किये जाने के समय में बदलाव करने हेतु विचार करने हेतु अनुरोध किया जायेगा

- * जिले में स्थित इंडस्ट्रीज/ फेक्टोरियो में ग्रीष्म ऋतू/हीट वेव के दौरान पर्याप्त पेय जल व्यवस्था व अन्य जरूरी सुविधा उपलब्ध करवाना क्षम विभाग द्वारा सुनिश्चित करवाया जायेगा
- * जिला आपदा प्रबन्धन कार्यालय द्वारा पडक की चेतावनी के अनुरूप जिले में हीट वेव के लिए चेतावनी जारी की जायेगी
- * जिला आपदा प्रबन्धन कार्यालय की EOC (24X7) जनता की मदद हेतु कार्य करेगी

दीर्घ कालिक हीटवेव से सुरक्षा के उपाय—

- * शहरी स्थानीय निकायों को शहरी हरियाली को मजबूत करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी नीति दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए (शहरी हरियाली दिशानिर्देश 2014)
- * राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और ग्रामीण विकास विभाग को सड़कों के किनारे वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा।
- * सरकारी और निजी दोनों शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी/निजी कार्यालय परिसरों, सभी औद्योगिक इकाइयों, अस्पतालों, मंदिरों और पूजा स्थलों को वृक्षारोपण के माध्यम से हरित किया जाना चाहिए ताकि जनपद में पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके व पर्यावरण के दुष्परिणामों से बचाव सम्भव हो
- * नगर पालिका, और जल निगम, को अपने अधिकार क्षेत्र में जल निकायों की भंडारण क्षमता बढ़ानी चाहिए और पानी की उपलब्धता बढ़ानी चाहिए जो अप्रत्यक्ष रूप से हीट वेव के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद करती है।
- * ठंडी छतों और उनके व्यापक लाभों को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाना आदि

5.3 गर्मी की लहर से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए अभिनव उपाय

1. वृक्षारोपण

सार्वजनिक स्थानों पर व अपने घर के पास स्थानों पर पर्याप्त पेड़ लगाने से हीट वेव के प्रभाव को कम कर पाना सम्भव है क्योंकि गर्मियों के दिनों में वृक्षों के निचे राहत की अनुभूति मिलती है व सूर्य की किरने सीधा धरातल पर न पड़ने के कारन तापमान में भी कमी पाई जाती है वृक्षारोपण के लिए छायादार वृक्षों में पीपल, सप्तपर्णी, जामुन, देवदार और आमचंपा आदि होने चाहिए।

जनपद खीरी में सार्वजनिक स्थलों पर जहा सम्भव हो जैसे मंदिरों, अस्पतालों, कार्यालयों, मॉल वा निजी स्थलों पर भी जैसे घरों की परिधि के आसपास छायादार पेड़ लगाए जाने हेतु अभियान चला कर अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जायेगा

2. गर्मी के दिनों में खिडकियों पर पर्दा लगा कर रखना

गर्मी के दिनों में खिडकियों पर पर्दा लगाये रखने से 30 प्रतिशत तक सूर्य की किरणों को घर में प्रवेश करने से रोका जा सकता है जिसके कारण घर के अन्दर के तापमान में कमी

की अनुभूति होती है

3. हाउस क्रॉस वेंटिलेशन

कमरों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि गर्मियों में घरों में क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा के लिए दीवार के विपरीत चेहरे पर दरवाजे, खिड़कियां, वेंट लगाए जाएं ताकि शाम को खिड़कियों के खुलने पर गर्म हवा घर से बाहर निकल सके। दोनों तरफ के हिस्से सुबह और शाम को खोले जाएंगे। सुनिश्चित करें कि विपरीत दिशा की खिड़कियाँ केवल सुबह और शाम को खोली जानी चाहिए जब बाहरी हवा घर के अंदर की तुलना में ठंडी होती है।

4. ऊपरी मंजिल पर सफेद परावर्तक पेंट लगाना

शोध में ऐसा मन जाता है कि सफेद रंग का एल्बीडो सबसे अधिक होता है जो 0.9 से 1.0 तक है जिसके कारण सूर्य से धरातल पर आने वाली किरणों को यह वापस रिफ्लेक्ट कर देती है जिसके कारण ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता है

यदि जनपद में इमारतों की छतों पर सफेद परावर्तक पेंट लगा दिया जाए तो सूर्य की किरणें उससे टकराकर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएँगी जिससे घर के अन्दर का तापमान भार की तुलना में 5 से 6 डिग्री संभवतः कम होगा व हीट वेव का प्रभाव ऐसी इमारतों में रहने वाले व्यक्तियों पर नहीं होगा। अतः इस विधि के विषय में जागरूकता कार्यक्रमों में प्रचार किया जायेगा।

5. एवनिंग का प्रयोग

खिड़कियों में एवनिंग बाहरी रूप से लगे होते हैं और एक प्रकार की अस्थायी छत के रूप में कार्य करते हैं। वे खिड़कियों और दरवाजों को छाया देने में मदद करते हैं, रोशनी, गर्मी और बारिश को प्रभावी ढंग से दूर रखते हैं। वे इनडोर तापमान को नियंत्रित करने के लिए उत्कृष्ट हैं।

अतः यदि इसे खिड़कियों पर दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में लगाया जाए तो यह हीट वेव के प्रभाव को न्यूनीकरित कर सकता है अतः इस विधि के विषय में जागरूकता कार्यक्रमों में प्रचार किया जायेगा।

5.4 पिछले अनुभव से सीखा सबक

- * हीट वेव के आने से पूर्व समय पर यदि तैयारी कर ली जाए तो काफी हद तक इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है
- * यदि जन समुदाय को प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता का निर्माण करने से हीट वेव के प्रकोप को कम किया जा सकता है
- * पर्यावरण संरक्षण अवश्यक है

5.5 पीड़ित लोगों के लिए वित्तीय प्राविधान—

राज्य-आपदा रहत कोष के तहत सामान्य रहत के लिए हीट-वेव से पीड़ित लोगों को रहत देने के लिए मानदंड :

अहेतुक सहायता राशि	सहायता के लिए मानदंड
(क) मृत व्यक्तियों के परिवारों को अहेतुक सहायता राशि।	रु 4.00 लाख, मृतक व्यक्ति को राहत कार्यों में शामिल होने या तैयारियों की गतिविधियों

	में शामिल होने वाले उपयुक्त प्राधिकारी से मृत्यु के कारण के प्रमाणन के अधीन है ।
(ख) पूर्व- अंग या आंखों के नुकसान के लिए अहेतुक सहायता राशि ।	रु 59100 / – प्रति व्यक्ति, जब विकलांगता 40: और 60: के बीच है। रु 2.00 लाख प्रति व्यक्ति, जब विकलांगता 60: से अधिक है एक अस्पताल या सरकार की डिस्पेंसरी से विकलांगता की सीमा और कारण एक डक्टर द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए
(ग) अस्पताल में भर्ती होने के लिए गंभीर चोट अहेतुक सहायता राशि ।	रु 12,700/ – प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक के लिए अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता होती है। रु 4,300 / – प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है।
पशुपालन हेतु सहायता	
बड़े दुधारू पशु जैसे भैंस गाय आदि	रु 37,500 / – भैंस गाय आदि के लिए
छोटे दुधारू पशु जैसे भेड़, बकरी सूअर	रु 4,000 / – गैर दुधारू पशुओं के लिए
गैर दुधारू पशुओं के लिए	रु 32,000 / – ऊंट घोड़ा बैल आदि के लिए रु 20,000 / – बछड़ा गधा आदि के लिए
पोल्ट्री, कुक्कुट	रु 100 / – प्रति कुक्कुट

संलग्नक—(Annexure)

1. शिक्षा एवं संचार सामग्री (IEC Material)

The infographic is titled "Uttar Pradesh State Heat Action Plan". It features a large green tree with several bubbles containing advice. At the base of the tree, two children, a girl and a boy, are holding a sign. The sign reads "लू / ऊष्माघात से बचाव के उपाय". The background is light blue. At the top left is the logo of the Government of Uttar Pradesh. At the top right is the logo of the State Disaster Management Authority, Uttar Pradesh. At the bottom, there is a dark blue banner with white text.

Uttar Pradesh State Heat Action Plan

शरीर अधिक गर्म लगने पर स्नान करें

अत्यधिक गर्मी के दिनों में दोपहर में बाहर निकलने से बचें

चाय, कॉफी, शराब, अधिक मसाले वाले पेय पदार्थ ना पियें

हल्के/सफेद रंग तथा ढीले कपड़े पहनें

अधिक परिश्रम के बीच में आराम भी करें

लू / ऊष्माघात से बचाव के उपाय

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ-गांधीनगर



30 प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



लू प्रकोप एवं गर्म हवा

लू से जन-हानि भी हो सकती है। इसके असर को कम करने के लिए और लू से होने वाली मौत की रोकथाम के लिए निम्न सावधानियाँ बरतें –

- कड़ी धूप में बाहर न निकलें, खासकर दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक के बीच में।
- जितनी बार हो सके पानी पियें, प्यास न लगे तो भी पानी पियें।
- हल्के रंग के ढीले – ढीले सूती कपड़े पहनें। धूप से बचने के लिए गमछा, टोपी, छाता, धूप का चश्मा, जूते और चप्पल का इस्तेमाल करें।
- सफर में अपने साथ पानी रखें।
- शराब, चाय, कॉफी जैसे पेय पदार्थों का इस्तेमाल न करें, यह शरीर को निर्जलित कर सकते हैं।
- अगर आपका काम बाहर का है तो, टोपी, गमछा या छाते का इस्तेमाल जरूर करें और गीले कपड़े को अपने चेहरे, सिर और गर्दन पर रखें।
- अगर आपकी तबियत ठीक न लगे या चक्कर आए तो तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें।
- घर में बना पेय पदार्थ जैसे कि लस्सी, नमक चीनी का घोल, नींबू पानी, छांछ, आम का पना इत्यादि का सेवन करें।
- जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने को दें।
- अपने घर को ढंड़ा रखें, पर्दे, शटर आदि का इस्तेमाल करे। रात में खिड़कियाँ खुली रखें।
- फैन, ढीले कपड़े का उपयोग करें। ढंड़े पानी से बार – बार नहाएं।

क्या करें : क्या न करें :

- धूप में खड़े वाहनों में बच्चों एवं पालतू जानवरों को न छोड़ें।
- खाना बनाते समय कमरे के दरवाजे के खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें जिससे हवा का आना जाना बना रहे।
- नशीले पदार्थ, शराब तथा अल्कोहल के सेवन से बचें।
- उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करने से बचें। बासी भोजन न करें।
- खिड़की को रिप्लेक्टर जैसे एल्युमीनियम पन्नी, गत्ते इत्यादि से ढक कर रखें, ताकि बाहर की गर्मी को अन्दर आने से रोका जा सके।
- उन खिड़कियों व दरवाजों पर जिनसे दोपहर के समय गर्म हवाएँ आती हैं, काले पर्दे लगाकर रखना चाहिए।
- स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान को सुनें और आगामी तापमान में होने वाले परिवर्तन के प्रति सतर्क रहें।
- आपत् स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लें।
- बच्चों व पालतू जानवरों को कभी भी बंद वाहन में अकेला ना छोड़े।
- जहाँ तक संभव हो घर में ही रहें तथा सूर्य के सम्पर्क से बचें।
- सूर्य के ताप से बचने के लिए जहाँ तक संभव हो घर की निचली मंजिल पर रहें।
- संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
- घर से बाहर अपने शरीर व सिर को कपड़े या टोपी से ढक कर रखें।

30 प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी



Uttar Pradesh State Heat Action Plan



लू-तापघात के लक्षण

अधिक गर्मी एवं लू के कारण होने वाली बीमारियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं।
हीट इग्जॉस्चन एवं हीट स्ट्रोक

हीट इग्जॉस्चन के लक्षण	हीट स्ट्रोक लक्षण
<ul style="list-style-type: none">▶ अत्यधिक प्यास▶ शरीर का तापमान बढ़ा हुआ (100.4°F से $< 104^{\circ}\text{F}$)▶ मांसपेशियों में ऐंठन▶ जी मिचलाना/उलटी होना▶ सिर का भारीपन/सिरदर्द▶ रक्त चाप का कम होना▶ चक्कर आना▶ भ्रांति/उलझन में होना▶ अल्पमूत्रता/पेशाब का कम आना▶ अधिक पसीना एवं चिपचिपी त्वचा	<ul style="list-style-type: none">▶ शरीर का तापमान बढ़ा हुआ ($> 104^{\circ}\text{F}$)▶ पसीना आना बंद होना/पसीने की ग्रंथि का निष्क्रिय होना▶ मांसपेशियों में ऐंठन, चिपचिपी त्वचा▶ त्वचा एवं शरीर का लाल होना▶ जी मचलाना/उल्टी होना, चक्कर आना▶ सिर का भारीपन/सिरदर्द, चक्कर आना▶ भ्रांति/उलझन में होना▶ अल्पमूत्रता/पेशाब का कम आना▶ मानसिक असंतुलन▶ साँस की समस्या, क्षसन प्रक्रिया तथा धड़कन तेज होना
प्राथमिक उपचार	उपचार
<ul style="list-style-type: none">• व्यक्ति को तुरंत पंखे के नीचे तथा छायादार ठन्डे स्थान पर ले जाये.• कपड़े को ढीला करें.• शरीर को गीले कपड़े से स्पंज करे.• ओ आर एस का घोल पिलाये.• निम्बू का पानी नमक के साथ पिलाये.• मांसपेशियों पर दबाव डालें तथा हल्की मालिश करें.• शरीर के तापमान को बार बार जाँचे.• यदि कुछ समय में सामान्य न हो तो तुरंत चिकित्सा केंद्र ले जाये.	<ul style="list-style-type: none">• मरीज को तुरंत नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में ले जायें कपड़ों को ढीला करें.• तुरंत पंखे के नीचे तथा छायादार ठन्डे स्थान पर ले जाये, शरीर को गीले कपड़े से स्पंज करे.• अगर मरीज कुछ पीने की अवस्था में हो तो पानी या शीतल पेय पिलायें .• ओ आर एस का घोल पिलायें.• निम्बू का पानी नमक के साथ पिलायें.• मांसपेशियों पर दबाव डाले तथा हल्की मालिश करे.

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी
तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ-गांधीनगर



Uttar Pradesh State Heat Action Plan



हारेगी गर्मी जीतेगा उत्तर प्रदेश

लू/उष्माघात जानलेवा हो सकता है, इससे बचाव ही उपचार है



REST

अधिक परिश्रम के
मध्य विश्राम अवश्य करें



AVOID

चाय, कॉफी
एवं शराब न पियें


प्यास की इच्छा
न होने पर भी
पानी पीये

Drink
More
Water




LIMIT

अधिक गर्मी में
दवायाम न करें



BE COOL

अधिक धूप में बाहर
ना जाये तथा
पंखे के नीचे बैठें



SOAK

शरीर अधिक गर्म
लगते पर स्नान करें



EAT FRESH

ठंडक प्रदान करने
वाले फल खायें



DRESS DOWN

हल्के/सफेद रंग
के तथा ढीले कपड़े पहनें



SEEK SHADE

छाया में बैठें



CHECK ON OTHERS

वृद्धो एवं बच्चो
का विशेष ध्यान रखें

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी
तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ-गांधीनगर




Uttar Pradesh State Heat Action Plan



लू-तापघात जानलेवा हो सकता है, इससे बचाव ही उपचार है.



ठंडक प्रदान करने वाले
पेय पदार्थ पियें



सफेद या हल्के रंग के
कपड़े पहनें



अधिक गर्मी में घर से
बाहर न निकलें



छाया में बैठकर विश्राम करें



बुजुर्गों, बच्चों एवं गर्भवती
महिलाओं का विशेष ध्यान रखें



घर की छत पर
चूने/सफेद रंग का पेन्ट करें



सिर पर गीला कपड़ा तथा
शरीर को कपड़े से ढककर
बाहर निकलें



प्यास की इच्छा न होने पर भी
बार-बार पानी पियें

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी
तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ-गांधीनगर



UTTAR PRADESH STATE HEAT ACTION PLAN



श्रमिकों को तापघात से बचायें ।



श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान कराना हमारी जिम्मेदारी है ।



कार्य के बीच-बीच में विश्राम दें ।




रेड अलर्ट के समय कार्य का समय बदलें ।



कार्य स्थल पर ठण्डे पानी की व्यवस्था करें ।



कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें ।



अधिक गर्म होने वाले उपकरणों को ठण्डा करने की व्यवस्था करें ।



श्रमिकों के बच्चों के लिए ठण्डे एवं आरामदायक कमरे की व्यवस्था करें ।

श्रमिकों को तापघात से बचाव के तरीके समझायें एवं बार-बार पानी पीने के लिये प्रेरित करें ।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ-गांधीनगर



Uttar Pradesh State Heat Action Plan



लू-तापघात जानलेवा हो सकता है, इससे बचाव ही उपचार है.

लू-तापघात के लक्षण



शरीर का तापमान बढ़ना
एवं पसीना न आना



सिरदर्द होना या सर का
भारीपन महसूस होना



त्वचा का सूखा एवं
लाल होना



उलटी होना



बेहोश हो जाना



मांसपेशियों में ऐंठन

लू- तापघात का प्राथमिक उपचार

(१) व्यक्ति को ठंडे एवं छायादार स्थान पर ले जायें

(२) एम्बुलेन्स को फोन करें (108)
एवं नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाएं

(४)

अगर बेहोश न हो तो
ठंडा पानी पिलायें

(७) गीले कपड़े या स्पंज रखें

(५)

जितना हो सके कपड़े
शरीर से निकाल दे

(८)

पंखे से शरीर पर

हवा डालें

(६)

शरीर के ऊपर पानी
से स्प्रे करें

(३)

व्यक्ति को पैर ऊपर
रखकर सुला दे

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी
तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ-गांधीनगर



UTTAR PRADESH STATE HEAT ACTION PLAN



Clinical Presentation and Treatment Protocol Heat Related Illnesses

Heat-Related Illness	Clinical Presentation	Treatment
Heat oedema	<ul style="list-style-type: none"> Mild swelling of feet, ankle and hands It appears in a few days of exposure to the hot environment Does not progress to pretibial region 	<ul style="list-style-type: none"> Usually resolves spontaneously within days to 6 weeks Elevate leg Compressive stocking Diuretics are not effective
Prickly Heat	<ul style="list-style-type: none"> Pruritic, maculopapular, erythematous rash typically over covered areas of body Itchiness Prolonged or repeated heat exposure may lead to chronic dermatitis 	<ul style="list-style-type: none"> Antihistamine Wear clean, light, loose-fitting clothing Avoid sweat generating situations Chlorhexidine is a light cream or lotion base Calamine lotion
Heat Cramps	<ul style="list-style-type: none"> Painful, involuntary, spasmodic contractions of skeletal muscle (calves, thighs and shoulder) Occur in individuals sweating profusely and only drinking water or hypotonic solutions Limited duration Limited to specific muscle group 	<ul style="list-style-type: none"> Fluid and salt replacement (IV or oral) Rest in a relaxed environment
Heat Tetany	<ul style="list-style-type: none"> Hyperventilation Extremity/s and circumoral paresthesia Carpopedal spasm 	<ul style="list-style-type: none"> Calm the patient to reduce respiratory rate Remove from hot environment
Heat syncope	<ul style="list-style-type: none"> Postural hypotension Commonly in non-acclimatized elderly 	<ul style="list-style-type: none"> Rule out other causes of syncope Removal from the hot environment Rest and IV drip
Heat Exhaustion	<ul style="list-style-type: none"> Headache, nausea, vomiting Malaise, dizziness Muscle cramps Temperature less than 40°C or normal May progress to heatstroke if fails to improve with treatment No CNS involvement 	<ul style="list-style-type: none"> Remove the patient from the heat stress area Volume replacement If there is no response to treatment in 30 minutes, then aggressively cool the patient to a core temperature of 39°C
Heatstroke	<ul style="list-style-type: none"> Core body temperature greater than 40°C Signs of CNS dysfunction: Confusion, delirium, ataxia, seizures, coma Other late findings: anhidrosis, coagulopathy, multiple organ failure 	<ul style="list-style-type: none"> Remove the patient from the heat stress area Volume replacement If there is no response to treatment in 30 minutes, then aggressively cool the patient to the core temperature of 39°C (further details later in document)

Reference: National Action Plan On Heat Related Illnesses, NCDC, MOHFW, 2021

Issued in Public Interest by Uttar Pradesh Disaster Management Authority


Technical supported by UNICEF, Uttar Pradesh and Indian Institute of Public Health-Gandhinagar



UTTAR PRADESH STATE HEAT ACTION PLAN



Management workflow of Suspected Heatstroke victims at PHC level before referral to higher centre



Consider heat illness in differential diagnosis if:

a. Presented with suggestive symptoms and signs	b. Patient has one or more of the following risk factors:
	<ul style="list-style-type: none"> i. Extremes of age (infants, elderly) ii. Debilitation/physical deconditioning, overweight or obese iii. Lack of acclimatization to environmental heat (recent arrival, early in summer season) iv. Any significant underlying chronic disease, including psychiatric, cardiovascular, neurologic, hematologic, obesity, pulmonary, renal, and respiratory disease v. Taking one or more of the following: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sympathomimetic drugs 2. Anticholinergic drugs 3. Barbiturates 4. Diuretics 5. Alcohol 6. Beta-blockers

Reference: National Action Plan On Heat Related Illnesses, NCDC, MOHFW, 2021.

Issued in Public Interest by Uttar Pradesh Disaster Management Authority
Technical supported by UNICEF, Uttar Pradesh and Indian Institute of Public Health-Gandhinagar

Annexure-6

Format A: Death reported due to Heat Wave (States report to NDMA)

Name of the State: _____ Year: _____ Reporting Periods: _____ Date of Reporting: _____

District	Location				Occupation					Economic			
	Urban		Rural		Total	Farmers	Labours	Hawkers	Others	Total	BPL	APL	Total
Age Group	M	F	M	F	M	F							
District 1													
0-6 years													
7-18 years													
19-35 years													
36-60 years													
61 > above													
Sub Total													
District 2													
0-6 years													
7-18 years													
19-35 years													
36-60 years													
61 > above													
Sub Total													
Total State													

*If any other information related to heat wave, please enclose a separate page.

Name and designation of the reporting officer:

Signature with Date

Format B: Details of the death reported due to Heat-Wave (record kept with State government)

S. No.	Name and Address	Age	Sex (M/F)	Occupation	Place of death	Date and time of death	Max Temp recorded (Rectal and Oral)	Deaths reported during heat wave period or Not	List of chronic diseases present (Ask the family members)	Date and time of post mortem (If conducted)	Date and time of joint enquiry conducted with a revenue authority	Remarks		
												Related to post-mortem	Related to Joint enquiry	
1														
2														
3														
4														

Name and designation of the reporting officer:

Signature with Date

Format B
(To be cumulated at the State Level and sent to Central Government)

Date: _____

DEATHS DUE TO HEAT RELATED ILLNESS -State

S. No.	Name of the district (Name of all districts)	New cases admitted due to Heat Related Illness since the last reporting period	Cumulative no of Heat Related Illness cases admitted due to Heat Related Illness since 1st April	Deaths due to Heat Related Illness since the last reporting period	reported due to Heat Related Illness since 1st April	Cumulative no of deaths due to Heat Related Illness since 1st April	Remarks (If any shortage of ORS/ fluids/ Treatment facilities etc...)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL							

2- महत्वपूर्ण फोन नम्बर की लिस्ट (नोडल अधिकारी सहित)

क्र० सं०	अधिकारी / विभाग	एस०टी०डी० कोड नम्बर	दूरभाष नम्बर		फैक्स नम्बर	मोबाइल
			कार्यालय	आवास		
1	2	3	4	5	6	7
1	भारत मौसम विज्ञान विभाग, लखनऊ	0522	2435406	—	2435406	—
2	प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल	0522	2237962	2237475	2237000	—
3	मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन	0522	2621599	—	2239283	—
4	अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन	0522	2238082	—	2238393	—
5	प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०	0522	2238044	—	2238225	—
6	प्रमुख सचिव (सिंचाई), उ०प्र०शासन	0522	2238461	—	2236957	—
7	सचिव (सिंचाई), उ०प्र०शासन	0522	2238688	—	2236957	—
8	प्रमुख सचिव (कृषि), उ०प्र०शासन	0522	2239298	—	—	—
9	प्रमुख सचिव, (नगर विकास)	0522	2239467	—	2238263	—
10	प्रमुख सचिव(राजस्व), उ०प्र०शासन	0522	2214504	—	2236619	—
11	प्रमुख सचिव (वित्त), उ०प्र०शासन	0522	2238062	—	2238918	—
12	प्रमुख सचिव (गृह) उ०प्र०शासन	0522	2238291	—	2238409	—
13	सचिव एवं राहत आयुक्त	0522	2214827	—	2238084	9454411070
14	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	0522	2622389	—	2622389	—
15	मण्डलायुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़	0571	2741200	2742184	2742180	9454417493
16	जिलाधिकारी अलीगढ़	0571	2400202	2400798	02407555	9454417513
17	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़	0571	2401150	2703110	2400111	9454400247
18	जिला सूचना कार्यालय	0571	2743402	—	—	863050034
19	मुख्य विकास अधिकारी	0571	2742543	2702645	—	9045659999
20	नगर आयुक्त, अलीगढ़	0571	2401807	2404723	—	9105053401
21	अपर जिलाधिकारी (वि/रा)	0571	2700962	2700705	—	9454417584
22	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)	0571	2400846	290889	—	9454417745
23	अपर जिलाधिकारी (नगर)	0571	2400213	2901645	—	9454417746
24	जिलाधिकारी एटा	05742	233302	233777	285055	9454417514
25	जिलाधिकारी हाथरस	05722	233400	224001	233400	9454417515
26	जिलाधिकारी, कासगंज	05744	247483	247482	247481	9454417516
27	नगर मजिस्ट्रेट	0571	2002303	—	—	9454417747
28	अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम)	0571	—	—	—	9454417748
29	अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय)	0571	—	—	—	9454417749
30	पुलिस अधीक्षक (नगर)	0571	2400115	—	—	9454401011
31	पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)	0571	2401454	2400570	—	9454401012
32	उप जिलाधिकारी कोल	0571	289095	2400304	—	9454417750
33	उप जिलाधिकारी अतरौली	05723	233317	233317	—	9454417751
34	उप जिलाधिकारी इगलास	09522	255225	255270	—	9454417752
35	उप जिलाधिकारी खैर	05724	222376	—	—	9454417753
36	उप जिलाधिकारी गभाना	05724	289095	—	—	9454417766
37	अपर उप जिला मजि० (कोल)	0571	2400202	—	—	9454417764
38	उप कृषि निदेशक	0571	2742579	—	—	9005576118
39	जिला कृषि अधिकारी	0571	2742579	—	—	9758717083
40	मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़	0571	2523272	2400032	—	9456000050
41	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़	0571	2742041	—	—	9412128755
42	जिला पूर्ति अधिकारी अलीगढ़	0571	2701260	—	—	9415185558
43	अधिशाली अभियंता जल निगम	0571	2740776	—	—	9473942651
44	परियोजना प्रबंधक सी०एन०डी०एस०अली०	0571	2740776	2702889	—	9456091924
45	भूमि संरक्षण अधिकारी	0571	2742834	2742581	—	9458216200
46	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी अली	0571	2720076	—	—	9839550021
47	अधी० अभियंता नलकूप मण्डल अलीगढ़	0571	2407489	2403588	—	9454415624
48	अधिशाली अभियंता नलकूप खण्ड प्रथम	0571	—	24020407	—	9454415280

49	अधिशारी अभियंता नलकूप खण्ड द्वितीय	0571	2409913	2409317	—	9454415470
50	अधि० अभियंता लघु सिंचाई अलीगढ़	0571	2760435	2402253	—	9412586375
51	अधीक्षण अभियंता लोग निर्माण विभाग	0571	2702365	—	—	9650159858
52	अधि० अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रा०	0571	2701675	—	—	9410692059
53	अधि०अभि० लोक निर्माण विभाग निर्माण	0571	2402316	2501038	—	9415031834
54	तहसीलदार कोल अलीगढ़।	0571	2402707	—	—	9454417756
55	तहसीलदार अतरौली।	05723	233410	—	—	9454417757
56	तहसीलदार इगलास	05722	255225	—	—	9454417767
57	तहसीलदार खैर	05724	222222	—	—	9454417759
58	तहसीलदार गभाना	05724	289095	—	—	9454417760
59	नायब तहसीलदार कोल	0571	—	—	—	9454419084
60	नायब तहसीलदार गभाना	0571	—	—	—	9454417765
61	नायब तहसीलदार लोधा	0571	—	—	—	9454419086
62	नायब तहसीलदार जलाली	0571	—	—	—	9454417762
63	नायब तहसीलदार अतरौली	0571	—	—	—	8057934905
64	नायब तहसीलदार खैर	0571	—	—	—	9454419083
65	अर्थ एवं संख्याधिकारी	0571	2742655	—	—	9411221750
66	जिला उद्यान अधिकारी	0571	2703344	—	—	9412463510
67	अधीक्षण अभि० उ०प्र०पा०का०लि०(नगर)	0571	2521344	2700366	—	9412748411
68	अधि० अभियंता वि०नगर प्रथम	0571	2520341	2741774	—	9412748400
69	अधि० अभियंता वि०नगर द्वितीय	0571	2702322	—	—	9412748406
70	अधीक्षण अभि०उ०प्र०पा०का०लि०ग्रामीण	0571	2703424	2700596	—	9412748422
71	अधि० अभियंता वि०ग्रा०वि०म० प्रथम	0571	2702517	2741867	—	9412748424
72	अधि०अभियंता वि०ग्रा०वि०म० द्वितीय	0571	2701481	2741538	—	9412748425
73	अधि०अभियंता वि०ग्रा०वि०म० तृतीय	0571	2701256	—	—	9412748423
74	अधी० अभियंता मध्य गंगा नहर	0571	2700863	2701367	—	9457525552
75	महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	0571	2403659	—	—	9871616340
76	अधी० अभियंता ड्रेनेज मण्डल	0571	2700389	—	—	9415969323
77	अधि० अभियंता अलीगढ़ खण्ड गंगानहर/नोडल अधि० सिंचाई सूखा अलीगढ़।	0571	2700496	2700420	—	9452275655
78	अधि. अभि० मध्य गंगानहर खण्ड 12	0571	2701279	—	—	9457625657
79	अधि० अभियंता मध्य गंगानहर खण्ड11	0571	2511854	—	—	9412704973
80	अधि० अभियंता नरौरा खण्ड/नोडल अधि० बाढ़ जनपद अलीगढ़।	0571	—	27044445	—	9452275655
81	जिला विद्यालय निरीक्षक	0571	—	—	—	9454457288
82	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	0571	2503917	—	—	9453004083
83	महा प्रबंधक, दूर संचार	0571	2403131	2401888	—	9412010004
84	क्षेत्रीय प्रबन्धक रोड अलीगढ़।	0571	2400743	2405444	—	9412781887
85	सहा० अभि० हेडवर्क ओखला नई दिल्ली।	011	—	—	—	9891114137
86	जिला पंचायत राज अधिकारी अलीगढ़।	0571	2742546	—	—	—
87	खण्ड विकास अधिकारी टप्पल	—	—	—	—	9599143084
88	खण्ड विकास अधिकारी खैर	—	—	—	—	9599143084
89	खण्ड विकास अधिकारी चण्डौस	—	—	—	—	9999912008
90	खण्ड विकास अधिकारी लोधा	—	—	—	—	8057901115
91	खण्ड विकास अधिकारी जर्वो	—	—	—	—	7017267979
92	खण्ड विकास अधिकारी अतरौली	—	—	—	—	9453187593
93	खण्ड विकास अधिकारी बिजौली	—	—	—	—	9450511375
94	खण्ड विकास अधिकारी गंगीरी	—	—	—	—	9456965890
95	खण्ड विकास अधिकारी धनीपुर	—	—	—	—	8958383700

96	खण्ड विकास अधिकारी अकराबाद	—	—	—	—	7992456484
97	खण्ड विकास अधिकारी गौडा	—	—	—	—	9532304321
98	खण्ड विकास अधिकारी इगलास	—	—	—	—	9532304321
99	पुलिस कन्ट्रोल रूम/एस0पी0काइम	0571	2401047	—	—	9454402810
100	आपदा नियन्त्रण कक्ष, कलेक्ट्रेट, अलीगढ़	0571	2700198	—	2700962	1077(टोलफ्री)
101	कमांडेन्ट आर0ए0एफ0	—	—	—	—	9412757881
102	कमांडेन्ट 38वी वाहिनी पी0ए0सी0	0571	2780046	2780066	—	9454400370
103	कमांडेन्ट 45वी वाहिनी पी0ए0सी0	0571	2780048	—	—	9454400418
104	जिला कमांडेन्ट होमगार्ड	0571	2781200	—	—	8005194012
106	केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण कक्ष लखनऊ	0522	2231583	—	—	—
107	बाढ़ नियन्त्रण कक्ष, सिंचाई विभाग, नरौरा ख0नि0गंगा नहर, अलीगढ़	0571	2703075	—	—	9411416871